औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में प्रवेश प्रक्रिया :-

आवेदकों को प्रवेश की प्रणाली स्पष्ट करने के उद्देश्य से पद्धति को विस्तार से निम्नानुसार स्पष्ट किया जा रहा है :-

- ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन -

वेबसाईट cgiti.cgstate.gov.in में जाकर आवेदक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। राज्य के शासकीय आई.टी.आई. में आवेदन करने के लिये आवेदक का छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। आवेदक के पास अधिकतम 10 व्यवसायों/संस्थाओ के विकल्प होंगे। आवेदक की सुविधा के लिये सत्र अगस्त 2017 में राज्य के शासकीय आई.टी.आई. में प्रवेश के लिये संस्थावार/व्यवसायवार उपलब्ध सीटों के साथ-साथ उसमें प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता संबंधी जानकारी वेब-साईट cgiti.cgstate.gov.in पर **"प्रशिक्षण विवरणिका"** ऑप्शन में उपलब्ध है। आवेदकों द्वारा च्वाइस लाक करने के पूर्व छ.ग.ऑनलाईन में आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन/रजिस्ट्रेशन मे त्रुटि सुधार/ इच्छित संस्थाओ तथा व्यवसायों की प्राथमिकता क्रम का चयन करना/ इच्छित संस्थाओं में प्राथमिकता के क्रम मे त्रुटि सुधार की सुविधा होगी। रजिस्ट्रेशन के लिये ईमेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर पूर्व से निर्धारित कर लेवें। आवेदक यह सुनिश्चित करे कि वही माबाईन नम्बर एवं ई-मेल आईडी अंकित करें जिस पर भेजी गई जानकारी समय पर प्राप्त हो सके। रजिस्ट्रेशन, चयन एवं संस्था में रिर्पोटिंग इत्यादि संबंधी आवश्यक निर्देश वेब-साईट से डाऊन लोड किये जा सकते हैं तथा उक्त जानकारी ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर पर भी भेजे जावेगें।

1.1 आई.टी.आई में प्रवेश के इच्छुक सभी पात्र आवेदकों को निर्धारित समयावधि में ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। पोर्टल पर रजिस्टर्ड आवेदक ही सीट आबंटन की प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे। रजिस्ट्रेशन करवाने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

1.2. आवेदक रजिस्ट्रेशन हेतु अपने स्वयं के अथवा अन्य किसी भी इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग कर सकते है अथवा cgiti.cgstate.gov.in के चिप्स के अधिकृत च्वाइस सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही कर सकते है।

1.3 आवेदक को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु शुल्क -

अनुसूचित जाति, जन जाति के आवदेक को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुल्क रूपये 40/- देना होगा।
पिछडा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के आवदेक को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुल्क रूपये 50/- देना होगा।

1.4 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुल्क चिप्स के अधिकृत च्वाइस सेंटर में नगद भुगतान किया जा सकता है अथवा ऑनलाइन पेमेन्ट द्वारा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। ऑनलाइन भुगतान हेतु निम्न सुविधाओं का उपयोग कर सकते है :-

i. **इंटरनेट बैंकिंग**

ii. **ए.टी.एम. सह डेबिटकार्ड**

iii. **क्रेडिट कार्ड**

1.5 तृतीय चरण के प्रवेश के उपरांत जिन व्यवसायों में आवेदन कम है, उनमें ऑफलाइन आवेदन शुल्क सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये रू. 15/-, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये रू. 10/- तथा पेमेंट शुल्क में प्रवेश के इच्छुक आवेदकों से रू. 10/- अतिरिक्त प्रति व्यवसाय प्रति आवेदन निर्धारित है। शुल्क नियमानुसार पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट/चालान के माध्यम से जमा किया जा सकता है।

- **पेमेंट सीट (स्वीकृत सीट्स का 30 प्रतिशत सुपरन्यूमेरीज सीट) में प्रवेश शुल्क :-**

एक वर्षीय व्यवसायों के लिये	**- रूपये 5000/**
दो वर्षीय व्यवसायों के लिये	**- रूपये 10000/-**

उक्त राशि ऑफलाइन ली जाती है एवं संस्था विकास समिति के बैंक के खाते में जमा की जाती है।

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा ... ोजन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगि...
मंत्रालय

// आदेश //

रायपुर, दिनांक

क्रमांक /847/त. शि./2001 : राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश सत्र अगस्त, 20.. से संख्याधिक (सुपर न्यूमेरिज) सीटों में तकनीकी व्यवसायों में स्वीकृत स्थानों का 20% एवं गैर तकनीकी व्यवसायों में स्वीकृत स्थानों का 10% (सामान्य मेरिट के आधार पर दो वर्षीय एवं एक वर्षीय व्यवसायों में प्रवेश शुल्क राशि क्रमशः रूपये 10,000/- एवं रूपये 5,000/-(रूपये दस हजार एवं रूपये पांच हजार) प्रवेश के समय एकमुश्त लिया जाएगा । यह रा (प्रवेश शुल्क) अन्य देय शुल्कों के अतिरिक्त होगा तथा प्रशिक्षण बीच में छोड़ने अथवा प्रशिक्षण से निष्कासित करने की स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा । संख्याधिक सीटों में प्रवेश पर कोई आरक्षण नहीं रहेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(बी. के. सि...)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

पृ०क्र० 1696 /847/त. शि./2001, रायपुर, दिनांक 22/6/2001

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य सचिव महोदय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
2. संयुक्त संचालक, जनशक्ति नियोजन (रोजगार एवं प्रशिक्षण) संचालनालय, रायपुर ।

....2/-

छत्तीसगढ़ शासन
तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,
विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विभाग
::— मंत्रालय —::

//आदेश//

रायपुर, दिनांक / / /2008

कमांक : एफ 9—10/2008/42:: भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली के परिपत्र संख्या DGE&T-19(20)/2007-CD, दिनांक 17 अप्रेल 2008 के अनुकम में राज्य शासन द्वारा प्रदेश की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओ में प्रवेश सत्र अगस्त 2008 से संख्याधिक (Super-numeries) सीटों में तकनीकी एवं गैर तकनीकी व्यवसायों में पेमेण्ट के आधार पर स्वीकृत स्थान का **30 प्रतिशत** स्थानों में प्रवेश दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अमीर अली)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,
विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विभाग

कमांक : एफ 9—10/2008/42, रायपुर, दिनांक 7/8/2008.

प्रतिलिपि :—
01. निज सहायक, माननीय राज्यमंत्री जी, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन विभाग, रायपुर ।
02. संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
03. संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय औ0प्र0संस्थाऐं रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर, छ0ग0।
04. समस्त प्राचार्य/अधीक्षक, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, छ0ग0 ।
05. मास्टर फाईल जनशक्ति नियोजन ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,
विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विभाग

PTO